

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 12(13)/ग्रावि./नरेगा/सा.अंके./पद सृजन/2010 /पार्ट-। जयपुर दिनांक

19. MAR 2013

संशोधन आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अधीन सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय हेतु इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 27.02.2013 में क्रम संख्या (i) राज्य स्तर पर सृजित पद शीर्षक के अन्तर्गत, वर्णित तालिका के क्रम संख्या 4 पर लेखाधिकारी के स्वीकृत पदों की संख्या 1 के स्थान पर 2 तथा क्रम संख्या 5 पर सहायक लेखाधिकारी के स्वीकृत पदों की संख्या 3 के स्थान पर 2 पढ़ी जावे। जारी स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(बद्री नारायण)

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
5. निजी सचिव, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वितीय, ईजीएस एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. निजी सहायक, निदेशक सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
11. उप शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास (अनुभाग -1) विभाग, जयपुर।
12. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
13. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस